(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 20th May, 2024

NOTIFICATION

No.10-6/2023-U.3(A): Whereas, Homi Bhabha National Institute (Institution deemed to be University), Mumbai had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Varanasi consisting of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre and Homi Bhabha Cancer Centre as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No.30-3/2023 (CPP-I/DU) dated 22.11.2023, informed that the Chairman, UGC constituted a Standing Committee to examine the application.

3. **And whereas**, the Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Homi Bhabha National Institute, Mumbai with certain conditions.

4. **And further whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 07.12.2023 to Homi Bhabha National Institute, Mumbai for fulfillment of the following conditions within a period of 3 years before starting of off-campus at Varanasi:

i. The deemed to be University shall sign a land lease agreement with Banaras Hindu University and Indian Railways for a period of not less than 30 years as the land where Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre and Home Bhabha Cancer Centre are located, belongs to Banaras Hindu University and Indian Railways respectively.

ii. The deemed to be University shall submit revised Memorandum of Association (MoA) in accordance with UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

iii. The deemed to be University shall obtain approval from the relevant regulatory bodies to set up off-campus centre at Varanasi.

iv. The institution shall increase the number of students in its proposed off-campus at Varanasi in accordance with the UGC Regulations, 2023, in accordance with the undertaking dated 2nd November 2023 submitted by the institute.

5. **And whereas**, Vice Chancellor, Homi Bhabha National Institute, Mumbai vide his letter dated 04.03.2024, submitted compliance report in respect of fulfillment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice.

6. **And further whereas**, UGC vide letter dated 01.05.2024, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

प्रमोद

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Homi Bhabha National Institute, Mumbai to start an off-campus Centre at Varanasi consisting of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre and Homi Bhabha Cancer Centre.

8. Homi Bhabha National Institute, Mumbai shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Department of Atomic Energy, OYC Building, C.S.M. Marg, Mumbai 400 001.
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
3. The Vice-Chancellor, Homi Bhabha National Institute, Mumbai.
4. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Maharashtra, Mumbai.
5. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, UP.
6. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. Guard file / Notification file.

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 4582

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 20 मई, 2024

अधिसूचना

सं.10-6/2023-यू.3(ए): जबकि, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (समविश्वविद्यालय संस्थान), मुंबई ने यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार वाराणसी में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था जिसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर केंद्र शामिल होगा।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 22.11.2023 के अपने पत्र सं.30-3/2023 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी के अध्यक्ष ने आवेदन की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया।

3. **और जबकि**, समिति ने संस्थान की प्रस्तुतीकरण के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कतिपय शर्तों के साथ होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

4. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर वाराणसी में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को दिनांक 07.12.2023 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

i. समविश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और भारतीय रेल के साथ कम से कम 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करेगा क्योंकि जिस भूमि पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र और होमी भाभा कैंसर केन्द्र स्थित हैं, वह क्रमश: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और भारतीय रेल की है।

ii. समविश्वविद्यालय को यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए) प्रस्तुत करना होगा।

iii. समविश्वविद्यालय को वाराणसी में ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए संबद्ध नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

iv. संस्थान द्वारा प्रस्तुत दिनांक 2 नवंबर 2023 के वचन पत्र के अनुसार, यूजीसी विनियम, 2023 के अनुरूप, वाराणसी में अपने प्रस्तावित ऑफ-कैंपस में छात्रों की संख्या में वृद्धि करेगा।

5. **और जबकि**, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के कुलपति ने दिनांक 04.03.2024 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया।

प्रिया

6. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 01.05.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

7. **अत:, अब**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और होमी भाभा कैंसर सेंटर को शामिल करते हुए एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की मंजूरी देता है।

8. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

पू कि बनर्जी

(पूर्णेन्दु किशोर बेनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय ,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, ओवाईसी बिल्डिंग, सी.एस.एम. मार्ग, मुंबई 400 001।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई।
4. सचिव, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
5. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, उ.प्र.।
6. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली -2।
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। इस अनुरोध के साथ कि वे अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को निर्देश जारी करें।
10. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

संजय कुमार

(संजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 4582